Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 15-12-2006

Participants : Mahajan Smt. Sumitra

>

Title: Need to formulate a law regarding 'surrogate mother' in the country.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जो बात उठाने जा रही हूं, मुझे यह भी अच्छा लग रहा है, सदस्य कम हैं, लेकिन आप चेयर पर बैठी हो, उस समय मैं यह बात उठाने जा रही हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय पर मैं बात करने जा रही हूं, वैसे तो पूरे विश्व में सेरोगेटेड मदर का विाय चर्चा में आया है, कोख उधार देने की चर्चा है। आज हिन्दुस्तान में हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हिन्दुस्तान में इस चीज की भी कहीं न कहीं शुरुआत हो गई है। मैं यहां यह बात इसलिए उठा रही हूं, क्योंकि इस बात पर बहुत बड़ा चिन्तन आवश्यक है। अगर हम दूसरे देशों का उदाहरण लें तो जैसे साऊथ कोरिया में एथलिट्स, फिलोस्फर्स को बुला कर, इस बात पर चर्चा करके उन्होंने कुछ नियम बनाएं कि कितनी बार एक मां अपनी कोख उधार दे सकती है, तीन से पांच तक दे सकती है, उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं। हमारे यहां की परिस्थिति बहुत अलग है, हमारे यहां मातृत्व की धारणा है और वह बहुत भावना से जुड़ी हुई है। हमारे यहां के जो फैमिली रिलेशंस हैं, वह बहुत ही स्ट्रोंग हैं, इसलिए एनीमिया भी हमारे यहां एक महिला में बहुत बड़ी समस्या है। यह जो कोख उधार दी जाएगी, हो सकता है कि यह पैसे से भी उधार ली जा सकती है। एक आधी-अधूरी कल्पना भी चर्चा में है और प्रयोग में कहीं न कहीं आ रही है। इसके सोशल एवं इकोनोमिक अलग-अलग प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। मैं इसलिए यह बात उठा रही हूं और थोड़ी सी विस्तृत बात कर रही हूं, क्योंकि प्रीनेटल टेस्ट की बहुत शुरुआत हो गई थी। उसके पीछे भी भाव अच्छा था और जो संशोधन हुआ था, वह इसलिए था कि जो बच्चा पेट में कोख में है, वह किसी डिफारमिटी के साथ, डेफिशिएंसी के साथ पैदा न हो, उसकी कोई डिसेबिल्टी न हो, पहले ही मालूम हो जाए ताकि उसमें सुधार किया जाए। ये सब बातें सोच करके प्रीनेटल टेस्ट शुरु हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या किस तरीके से, बड़े वेग से चल पड़ी और उसके कितने उल्टे रिपरकशंस हिन्दुस्तान में हो गए। मैं इसलिए यह बात आज इस समय उठा रही हूं, क्योंकि सेरोगेटेड मदर की चर्चा शुरु हो गई है और कहीं न कहीं इस बात पर अमल भी शुरु हो गया है।

इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि पहले ही हमारे यहां के धर्मज्ञ, नीतिशास्त्र, सोशल वर्कर्स, कानूनविद एवं डाक्टर्स, इन सबसे एक व्यापक चर्चा करके हम इस संदर्भ में या तो कोई कानून लाएं या इन चीजों का नियमन करें, लेकिन एक बहुत ठीक तरीके से इस पर विचार-विमर्श इस देश में शुरु हो जाए और सरकार इस बात पर चिन्तन करे। इसके कुछ उल्टे परिणाम आने के पहले चिन्तर करें, यही मेरा निवेदन है।